

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा के मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक लाडपुरा, कोटा की अनुशंषा के आधार पर श्री राजेन्द्र प्रसाद, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, जाखोडा, कोटा को दिनांक-28.09.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिलेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2018/175 दिनांक-12/04/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कोटा संभाग, कोटा

2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक लाडपुरा, कोटा

3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड बाबत।

4-प्रधानाचार्य, राउमावि, जाखोडा, कोटा को श्री राजेन्द्र प्रसाद, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग

प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)

5-श्री राजेन्द्र प्रसाद, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, जाखोडा, कोटा

6-रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत सामान्य चिकित्सालय, अलवर के मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर की अनुशंषा के आधार पर श्रीमती गुरमीत कौर, व्याख्याता (हिन्दी) रा.नवीन उमावि, अलवर को दिनांक-30.09.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकरिमक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2019/178 दिनांक-17/10/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जयपुर संभाग, जयपुर
- 2-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
- 4-प्रधानाचार्य, राज.नवीन उमावि, अलवर को श्रीमती गुरमीत कौर, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
- 5-श्रीमती गुरमीत कौर, व्याख्याता (हिन्दी) रा.नवीन उमावि, अलवर
- 6-रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक 25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत राजकीय चिकित्सालय, नागौर के मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, परबतसर, नागौर की अनुशंसा के आधार पर श्री दुर्गा सिंह राठौड़, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, राबड़ियाद (नागौर) को दिनांक-18.09.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकरिमक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किराई कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथभल डिडेन)

आईएएल

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2018/177 दिनांक:-17/10/19

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) अजमेर संभाग, अजमेर
- 2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, परबतसर, नागौर
- 3 प्रधानाचार्य, राउमावि, राबड़ियाद (नागौर) को श्री दुर्गा सिंह राठौड़, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
- 4 श्री दुर्गा सिंह राठौड़, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, राबड़ियाद (नागौर)
- 5 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर